

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.1(1)खान/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 31.05.2017

--: संशोधित आदेश ::--

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2017 की सारणी के क्रम संख्या 2 की कॉलम संख्या 4 में अंकित "अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत, उदयपुर" के स्थान पर "अधीक्षण खनि अभियन्ता-तृतीय, निदेशालय, उदयपुर" एवं कॉलम संख्या 5 में अंकित "श्री दीपक तंवर के स्थान पर" की जगह "रिक्त पद पर" पढा जावे ।

आज्ञा से,

31/05/17

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खनिज राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग ।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करावे ।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर जोन, उदयपुर/कोटा जोन ।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर वृत, उदयपुर ।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर वृत, भरतपुर ।
8. खन अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर ।
9. संबंधित अधिकारी, मार्फत अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ।
10. व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ शासन उप सचिव